an>

title: Need to provide adequate compensation to farmers whose lands have been acquired for fencing purpose in border areas of Jammu and Kashmir.

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : मैं सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर राज्य के उन सीमावर्ती स्थानों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जहां की सीमा पर तारबंदी हुई है। तारबंदी के कारण, तारबंदी की दूसरी ओर खेती की जमीन थी, उसे सेना तथा सीमा सुरक्षा बलों द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। उस जमीन पर खेती करने वाले किसान बेरोजगार हो गए हैं।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अगृह है कि उन गरीब किसानों के लिए जिनके समक्ष भुखमरी की नौबत आ गयी है, सरकार ने क्या किया? इस तारबंदी की व्यवस्था में उन गरीब किसानों का क्या दोष है ? 12 वर्षों से न ही उन्हें कोई रोजगार मिला और न ही उन्हें उस जमीन की कीमत और न ही उस जमीन का मुआवजा अभी तक मिला है जिससे कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।